न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
056/2017(रे.वि.) (GCMS 2017/00075)	04.08.2017	05.10.2021

अनवान

भारत संघ जरिये अधीक्षक डाकघर, चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1. मोतीलाल पिता केसु लाल जाति ब्राहम्ण निवासी पुराना उदयपुर रोड, कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्रबाबत् पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम, 1952::–

उपस्थिति :– विजय कुमार जैन — अधिवक्ता प्रार्थी
नरेश शर्मा — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 4 राजस्थान जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारत संघ के डाक विभाग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है जिसकी पुरे भारत के कई ब्रांच स्थित है जिसकी एक ब्रांच चितौडगढ में स्थित है। प्रार्थी के अधीन विपक्षी मोती लाल बारेआमा डाक घर सेंती में उप डाकपाल के पद पर दिनांक 05.03.2014 से 24.03.2014 तक कार्यरत था। विपक्षी डाक घर सेती में उप डाकपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए 15,90,366/– अक्षरे पन्द्रह लाख नब्बे हजार तीन सौ छासठ रुपये का गबन किया इसकी प्रार्थी विभाग को जानकारी होने पर विभागीय जांच कराई गई जिसमे विपक्षी द्वारा डाकघर सेंती में कार्यरत रहते हुए उपरोक्त वर्णित राशि का गबन करना पाया जिस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध सदर थाना चित्तौड़गढ़ में रिपोर्ट दी जिस पर सदर थाना चित्तौड़गढ़ में एफआईआर नम्बर 188/2015 सदर थाना ने धारा 420; 409 भारतीय दण्ड संहिता मे मुख्य न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ में चालान पेश हुआ जो मुकदमा नम्बर 001/2016 रे.फो. पर दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

हुआपश्चात अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय चित्तौड़गढ़ ट्रांसफर होकर मुकदमा नम्बर 027/2016 रे.फो. पर दर्ज होकर प्रकरण विचाराधीन है। विपक्षी मोतीलाल ने सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन मनी ऑर्डर जारी के कार्य में विभागीय धन 15,90,366/- रूपये अक्षरे पन्द्रह लाख नब्बे हजार तीन सौ छियासठ रूपये का गबन किया जो कि आपराधिक कृत्य किया है। विपक्षी वर्तमान में डाक सहायक के पद पर डाकघर प्रतापगढ में कार्यरत है। ग्राम कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में विपक्षी व उसके परिवार की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मुताबिक प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की में वर्णित आराजियात को कुर्क कर निलाम कराई जाकर सरकारी धन की वसुली कराई जाना आवश्यक होने से यह आवेदन पेश है। विपक्षी ने विभाग की धन राशि का गबन किया उस उपरोक्त वर्णित राशि में से विपक्षी ने अदायगी पेटे दिनांक 17.06.2014 को 1,00,000/- रूपये तथा दिनांक 13.06.2016 को 2,00,000/- रूपये कुल 3,00,000/- रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये प्रार्थी के कार्यालय में जमा कराये। विपक्षी ने जान बुझकर पदास्थापित होते हुये सरकारी धन का गबन कर गबन राशि को अपने निजी खर्च से उपयोग कर आपराधिक कृत्य किया है। इसलिये सरकारी धन की वसूली विपक्षी से कराये जाने हेतु विपक्षी की अचल सम्पति भूमि जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित है को निलाम कराई जाकर शेष सरकारी राशि 12,90,366/- रूपये अक्षरे बारह लाख नब्बे हजार तीन सौ छियासठ रूपये व इस राशि पर दिनांक 05.03.2014 से वसुली रकम तक ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से वसुल कराया जाना आवश्यक होने से पेश है। विपक्षी की अचल सम्पति वाके ग्राम कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है इसलिये आवेदन माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होने से पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को कुर्क कर निलाम कराई जाकर सरकारी धन राशि 12,90,366/- रूपये अक्षरे बारह लाख नब्बे हजार तीन सौ छियासठ रूपये व इस राशि पर दिनांक 05.03.2014 से तारीख वसुली दिनांक तक ब्याज 12 प्रतिशत से प्रार्थी को विपक्षी व उसकी सम्पति से दिलाई जावे। खर्चा मुकदमा, वकील महनताना भी विपक्षी से प्रार्थी को दिलाई जावे।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 12.09.2017 को अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नरेश शर्मा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 06.03.2018 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का गबन सेंती मे

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

उपडाकपाल पद पर कार्यरत रहते हुये नहीं किया गया। प्रार्थी विभाग द्वारा तत्कालिन निरीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ़ (दक्षिण) देवीशंकर जाट से उपडाकघर सेंती के समस्त खातो एवं मौद्रिक लेन–देन का सत्यापन कराया गया एवं उपरोक्त सत्यापन के उपरान्त जांच अधिकारी द्वारा अधीक्षक डाकघर मण्डल चित्तौड़गढ़ को जो पत्र दिया गया उसके अनुसार जांच अधिकारी, देवीशंकर जाट द्वारा सेंती उपडाकघर के समस्त खातो व मौद्रिक लेन–देन के सत्यापन के उपरान्त परिणाम सन्तोषप्रद होना उल्लेखित किया गया। उक्त पत्र की प्रति जवाब के साथ पेश है। पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2015 सदर थाना चित्तौड़गढ़ में विपक्षी जवाब के विरूद्ध दर्ज करवायी गयी। प्रकरण जांच अधिकारी द्वारा मुख्य डाकघर चित्तौड़गढ़ के दोषी कर्मचारियो तत्कालिन कार्यवाहक पोस्टमास्टर चित्तौड़गढ़ रणजीत सिंह जैन व ट्रेजरार बाबुलाल डाड, डाक सहायक रतनलाल जाट, कैलाश चौहान उपलेखा सहायक (द्वितीय)–डालुलाल धाकड, नागेश राठौड व पंकज मौची से मिलीभगत कर उपरोक्त दोषी कर्मचारियो को बचाने के लिये सम्पूर्ण गबन का आरोप विपक्षी जवाबदार पर झूठा लगाते हुये दर्ज करवाया गया। उक्त सभी कर्मचारी इस गबन प्रकरण में दोषी है इस बात की पुष्टि अधीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ़ द्वारा इन सभी कर्मचारियो की अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत दिये गये आरोप पत्र से प्रमाणित होती है एवं वर्तमान में विपक्षी जवाबदार के साथ उक्त सभी दोषी कर्मचारियो के विरूद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही लम्बित है एवं इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में छुपाते हुये इस प्रकरण में केवल मात्र प्रार्थी को दोषी होना बताकर जो अनुतोष उक्त गबन राशि के वसुली के सम्बन्ध में चाहा गया है कतई विधि सम्मत नहीं है। उक्त तथ्य के प्रमाण स्वरूप विपक्षी जवाबदार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी जिसमे इस गबन कार्यवाही में सम्बन्धित सभी कर्मचारियो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण उल्लेखित है कि प्रति जवाब के साथ पेश है। किसी भी प्रकार का कोई गबन नही किया गया है न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 चित्तौड़गढ़ में लम्बित प्रकरण संख्या 027/2016 वर्तमान में लम्बित है एवं न्यायालय की इस प्रकरण में अन्वीक्षा शेष है एवं न्यायालय के निर्णय से पूर्व उक्त राशि के गबन का आरोप पूर्णतया विपक्षी जवाबदार के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है। विपक्षी वर्तमान में दिनांक 31.07.2017 से सेवा निवृत्त हो चुका है और विपक्षी जवाबदार की सेवा निवृत्ति के समय विपक्षी जवाबदार को प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी राशि जो की करीब 20,00,000/– रूपये से भी अधिक बनती है। प्रार्थी द्वारा अवैधानिक तौर से उसे रोका गया है एवं उसका भूगतान विपक्षी जवाबदार को नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि विपक्षी जवाबदार के संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है एवं उक्त कृषि भूमि विपक्षी जवाबदार के पिता केशुलाल जी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

I 3
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

बारेगामा की पैतृक सम्पति होकर उक्त सम्पति में विपक्षी जवाबदार व उसके दोनो पुत्र भेरूलाल, दिनेश कुमार व पुत्री कैलाश का भी बराबर–बराबर हिस्सा निहित है। उक्त सम्पति जो कि एक संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है इसका मौके पर कोई विभाजन सभी हिस्सेदारान द्वारा अपने अपने जन्म से निहित हक हिस्सों अनुसार नहीं किया गया है इसलिये वैधानिक रूप से उक्त सम्पति की कुर्की व निलामी झूठे गबन के आरोप के मात्र आधार पर नहीं की जा सकती। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विपक्षी जवाबदार को गबन हेतु दोषी प्रमाणित नहीं किया जाता है तब तक वसूली विपक्षी जवाबदार से विधितः नही की जा सकती है। दिनांक 17.06.2014 को जो 1,00,000/– रूपये जमा कराने का तथ्य उल्लेखित किया है वह जांच अधिकारी देवीशंकर जाट व तत्कालिन अधीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ़ रणजीत सिंह शक्तावत द्वारा विपक्षी जवाबदार को फंसाने की नियत से जमा करवाये गये ताकि उक्त सभी लोग विपक्षी जवाबदार को दोषी प्रमाणित कर सके। इस तथ्य की पुष्टि जांच अधिकारी देवीशंकर जाट द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब चित्तौड़गढ़ के समक्ष उक्त प्रकरण, प्रकरण संख्या 027/2016 रे.फो. में दिये गये बयानो से होती हैं। दिनांक 13.06.2016 को जो 2,00,000/– रूपया प्रार्थी की ओर से न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुये जमा, कराया गया वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत हेतु अधिरोपित शर्त की पालना स्वरूप जमा करवाये गये है एवं उपरोक्त जमाधन राशि के आधार पर प्रार्थी को गबन का दोषी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। बयान व न्यायालय आदेश की फोटो प्रति जवाब के साथ पेश है। विपक्षी जवाबदार द्वारा किसी भी सरकारी राशि का गबन नहीं किया गया है ना ही सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में विपक्षी जवाबदार को दोषी मानकर दोष सिद्ध किया गया है इसलिये उपरोक्त आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर किसी भी प्रकार की वसूली विपक्षी जवाबदार से विधितः नही की जा सकती है। अन्त में प्रार्थना कि गई कि जवाब में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 20.03.2018 को अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब–उल–जवाब पेश कर निवेदन किया विपक्षी नम्बर 1 ने अपने अनुरूप गलत अर्थ निकाल कर भ्रमित किया गया है। विपक्षी नम्बर 1 मोती लाल बारेगामा ने डाकघर सेंती में उप डाकपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए सरकारी धन का गबन किया जिसकी विभाग को जानकारी होने पर विभागीय जाँच कराई तो प्रार्थना पत्र में वर्णित राशी 15,90,366/– रूपये के सरकारी धन का गबन मोतीलाल बारेगामा द्वारा किया जाना पाया, जिस पर इसके विरुद्ध पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर FIR दर्ज हुई जो सही है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

रणजीत सिंह जैन पोस्टमास्टर, बाबूलाल डाड ट्रेजरार, रतन लाल जाट कार्यवाहक ट्रेजरार, श्रीमती कैलाश चौहान उपलेखा सहायक (द्वितीय), डालू लाल धाकड़, नागेश राठोर, पंकज मोची उक्त सातों कर्मचारी चित्तौडगढ़ मुख्य डाकघर के है जिनके द्वारा सैंती डाकघर के प्रतिदिन प्राप्त लेखाओं की समय पर जाँच नहीं कर पाए जिसकी आड में आरोपी मोतीलाल बारेगामा गबन करने में सक्षम रहा, इसलिए प्रार्थी डाक विभाग ने उपरोक्त सातों कर्मचारी द्वारा बरती गई लापरवाही के दौरान डाक नियमो के अंतर्गत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में उन्हें दण्डित किया गया जो उक्त कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए दण्डित किया गया न कि उक्त सात कर्मचारियों ने गबन किया। क्योंकि डाक विभाग गबन की राशी स्वयं वहन नहीं करता है इसलिए आरोपी मोतीलाल बारेगामा द्वारा गबन किया गया परन्तु उपरोक्त सातों कर्मचारी समय पर जाँच नहीं कर पाने के कारण विपक्षी नम्बर 1 मोतीलाल बारेगामा का हौसले बढ़ गया कि गबन पकड़ में नहीं आ पायेगा इसलिए विपक्षी नम्बर 1 मोतीलाल बारेगामा ने राशी 15,90,366/- सरकारी धन का गबन किया जो दिनांक 17.06.2014 को गबन के आरोपी मोतीलाल बारेगामा ने लिखित में दिये बयानो में स्वयं द्वारा गबन करना स्वीकार किया गया तथा दिनांक 17.06.2014 को ही लिखित में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए 1 लाख रुपये जमा कराये जो प्रमाण में पेश है। विपक्षी संख्या 1 ने बाद में 2 लाख रुपये और जमा कराकर कुल 3,00,000/- रुपये प्रार्थी डाकघर में जमा कराये गये है। सात कर्मचारियों को डाकघर ने लापरवाही बरतने के लिए डाक नियमों के तहत दण्डित किया परन्तु उन्होंने गबन नहीं किया, गबन तो विपक्षी नम्बर 1 मोतीलाल बारेगामा ने ही किया लेकिन दोषी मोतीलाल ने अपने जवाबदावा में गलत अर्थ निकाल कर सात कर्मचारियों को दोषी बताया गया व उन्हें बचाने का आरोप प्रार्थी डाकघर पर लगाया गया जो कि सरासर गलत है। गबन की विभागीय जाँच हो जाने के पश्चात डाक विभाग के नियमों के अंतर्गत सैंती डाकघर के खातों व मौद्रिक लेन-देन के सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने के कारण जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन के परिणाम सन्तोषप्रद होने की रिपोर्ट को विपक्षी नम्बर 1 ने जाँच अधिकारी के उक्त पत्र का गलत अर्थ निकाला जबकि विपक्षी नम्बर 1 के विरुद्ध गबन करने का मुकदमा दर्ज कराने के बाद का सत्यापन कराया गया जिसके सम्बन्ध में यह पत्र है। आरोपी मोतीलाल बारेगामा स्वयं ने लिखित में स्वीकार किया है कि गबन की राशी 1590366/- रुपये उनके बच्चों व परिवार वालो ने शादी विवाह में राशि खर्च कर दी। विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने 1 लाख रुपये 17.06.2014 को जमा कराये शेष राशि 2-3 दिन में जमा कराने का लिखित में आश्वासन दिया परन्तु जमा नहीं कराये और इसके पश्चात उसने हाई कोर्ट के आदेश से 2 लाख रुपये और जमा कराये तथा बाद में वह

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सेवानिवृत हो गया है। इस प्रकार विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ऐन–केन प्रकरेण रूपए जमा नहीं कराने की नियत से बचना चाहता है जबकि कानूनन लिखित बयानों (अभिवचनो) से वह मुकर नहीं सकता जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 एक्टोपाल के सिद्धांत से बाधित है। गबन मोतीलाल बारेगामा ने किया इसलिए FIR दर्ज करायी गयी एवं मुकदमा न्यायालय में जैर पेंडिंग है जो गबन करने से सजा दिलाये जाने हेतु फौजदारी कार्यवाही है। ग्रेच्युटी की राशि 20,00,000/– रूपये नहीं बनती है, परन्तु विपक्षी ने बढ़ा चढ़ाकर बड़ी रकम लिख दी है जो सरासर गलत है। ग्रेच्युटी की राशि डाक नियमों के अनुसार करीबन 9,50,000/– रूपये ही बनती है जिसके बारे में डाकघर के उच्चाधिकारियों द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया। प्रार्थी डाक विभाग के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी की है जिसमे उसका हिस्सा निलाम किये जाने में कोई रुकावट नहीं है क्योंकि गबन किया है जो उसकी उक्त संपत्ति से वसूली किये जाने में उससे बचने के लिए वह पैत्रिक होना बता रहा है क्योंकि कानूनन भी वर्तमान में जो खातेदार है उसकी संपत्ति को नीलाम किये जाने में कोई रुकावट नहीं है। वसूली से बचने के लिए मनगढन्त तथ्य उठा रहा है। अगर वह संपत्ति को नीलामी से बचाना ही चाहता है तो गबन की राशि जमा करा देने से निलाम नहीं कराई जाएगी। विपक्षी नम्बर 1 का पुराना उदयपुर रोड़ कपासन में स्थित आवासीय भूखण्ड व उस पर निर्मित मकान साइज **34 X 23.5** फिट जो प्रार्थना पत्र में वर्णित पडोसीयान का मकान को नीलाम कराई जाकर वसूली कराई जावे। विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने गबन किया है। गबन के बाद विभागीय जाँच में स्वयं ने लिखित में गबन करना स्वीकार किया है कि उसने ही गबन किया है और उसने लिखित में दिया है कि 1 लाख रूपया जमा करा रहा हुँ शेष रकम 2–3 दिन में जमा करा दूंगा परन्तु विपक्षी ने 2 लाख रुपये हाई कोर्ट के आदेश की पालना में जमा कराये जो कुल 3 लाख रुपये जमा कराये। बकाया राशि जमा नहीं कराये जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। फौजदारी कार्यवाही में गबन किया जिसका मुकदमा सजा दिलाये जाने हेतु FIR दर्ज करायी गयी ताकि अपराध की पुनावृति नहीं हो एवं दोषी को सजा मिले। वसूली तो न्यायालय हाजा ही कराने में सक्षम होने से विधि अनुसार **PDR Act 1952** के तहत माननीय न्यायालय अधिकृत होने से पेश किया गया है। डाक नियमों के तहत डाक विभाग के कर्मचारी मोतीलाल बारेगामा द्वारा गबन करने से सात कर्मचारियों द्वारा सेंती डाकघर में प्रतिदिन प्राप्त लेखाओं की समय पर जाँच नहीं कर पाये जिसकी आड़ में उक्त मोतीलाल बारेगामा के पकडे नहीं जाने से उसके होसले बुलंद हो जाने से इतनी बड़ी राशी का गबन कर लिया इसलिए प्रार्थी डाकघर ने डाक नियमों के तहत लापरवाही बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोपी मोतीलाल बारेगामा को गबन की राशि जमा नहीं कराने से जो हानि

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

विभाग को हुई उसकी पूर्ति हेतु उपरोक्त सात कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की गलती से भी हुई उनसे कुछ हिस्सा राशि अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत उनके वेतन से वसूली की गयी जो नियमो के तहत की गई। विभाग ने सात कर्मचारियों की बरती लापरवाही के कारण डाक नियमों के तहत उन्हें दोषी माना जिसका मोतीलाल बारेगामा ने न्यायालय को गुमराह करने की नियत से ये बताया कि सात कर्मचारियो को सहदोषी मानते हुए उनको बचाया व मोतीलाल के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, बल्कि डाक नियमों के तहत दोषी का अर्थ यही है कि सात कर्मचारियों द्वारा लापरवाहीबरतने से उक्त मोतीलाल बारेगामा ने बड़ी राशी का गबन किया इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पर विभाग को जो हानि हुई उसको स्वयं वहन नहीं करता है, बल्कि दोषी (आरोपी) मोतीलाल बारेगामा से वसूली योग्य है। मोतीलाल बारेगामा ने गबन किया जो उसने विभागीय जाँच में लिखित में स्वीकार कर 1 लाख रुपये जमा कराने केबाद 2 लाख रुपये ओर जमा कराये इस प्रकार कुल 3 लाख रुपये जमा कराये है और शेष रकम 2-3 दिन में जमा कराने हेतु लिखित में दिया जो इसने अब तक जमा नहीं कराये, ओर अब वह अपने अभिवचनों से मुकर नहीं सकता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी डाकघर का जवाब-उल-जवाब स्वीकार किया जाकर विपक्षी मोतीलाल बारेगामा की चल-अचल संपत्ति मकान, कृषि भूमि आदि को कुर्क कर निलामी कराई जाये एवं डाक विभाग के बकाया सरकारी धन 12,90,366/- रुपये मय **12%** ब्याज सहित वसूली करायी जाये। प्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब-उल-जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 22.09.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पत्रावली पेश की गई जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 27.09.2021 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पत्रावली प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 05.10.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं मौखिक बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली प्रार्थना पत्र, जवाब-उल-जवाब एवं लिखित बहस पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भारत संघ के डाक विभाग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जिसकी पूरे भारत में कई शाखाएँ स्थित है, जिनमे से एक शाखा चित्तौड़गढ़ जिला (राजस्थान) में स्थित है। प्रार्थी के अधीन मोतीलाल बारेगामा उप डाकघर सेंती (चित्तौड़गढ़) में दिनांक 05.03.2014 से दिनांक 24.03.2014 तक उप डाकपाल सेंती उप डाकघर के पद पर कार्य करने के दौरान मोतीलाल बारेगामा ने सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन मनीऑर्डर जारी कराने हेतु कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ से दिनांक 26.02.2014 को रुपये

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

90,78,707/- एवं दिनांक 13.03.2014 को रुपये 92,75,608/- के प्राप्त चेक को विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने प्रधान डाकघर चित्तौड़गढ़ को क्लीयरेंस हेतु भेजे। उक्त चैकों को प्रधान डाकघर द्वारा SBBJ शाखा चित्तौड़गढ़ को क्लीयरेंस हेतु भेजा गया जो क्लीयरेंस के बाद प्रधान डाकघर चित्तौड़गढ़ द्वारा क्लीयरेंस की सूचना मूल प्रति पर क्लीयरेंस रिमार्क देकर वापस सेंती उपडाकघर को भेजी। विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने उप डाकपाल सेंती के पद पर कार्य करते दिनांक 05.03.2014 से दिनांक 24.03.2014 तक विभिन्न दिनांको में जारी सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन मनीऑर्डर से ज्यादा नकदी अपने दैनिक लेखा में प्रधान डाकघर चित्तौड़गढ़ को प्रेषण दर्शाते हुए उक्त अवधि के दौरान रुपये 15,90,366/- की सरकारी राशि का दुर्विनियोजन (गबन) किया। जिसका विवरण लिखित रिपोर्ट एवं **FIR No.** 188/2015 सदर थाना चित्तौड़गढ़ में आईपीसी धारा 409 और 420 मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी एफआईआर माननीय न्यायालय में पेश की गई जिसमें पूर्ण विवरण दिया गया। मोतीलाल बारेगामा के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ में चालान पेश हुआ जो मुकदमा नंबर 001/2016 रे. फौ. पर दर्ज होने के पश्चात अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट II चित्तौड़गढ़ में स्थानांतरित होकर मुकदमा नंबर 127/2016 रे. फौ. पर दर्ज होकर विचारधीन है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम 1952 के तहत् कुलिया 15,90,366/- रूपये की राशि के संबंध में विपक्षी संख्या-1 को डिफाल्टर बताते हुए 12,90,366/- रूपये की वसूली हेतु अपने आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम की धारा 3 व 4 में विहित आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। सर्वप्रथम न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में यह निर्धारित करना है कि प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम 1952 के तहत् प्रस्तुत प्रमाण पत्र में विहित राशि वसुल योग्य है अथवा नहीं, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी मोतीलाल को सैंती उप डाकपाल के पद पर दिनांक 05.03.2014 से दिनांक 24.03.2014 कार्यरत होना बता उक्त अवधि में अपने प्रार्थना पत्र में 15,90,366/- रूपये का गबन किया जाना वर्णित करते हुए उक्तगबन के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2015 अन्तर्गत अपराध धारा 420, 409 भा.द.सं. के तहत प्रस्तुत होना व उक्त प्रकरण न्यायालय में लम्बित होना अपने आवेदन में स्वीकार किया गया। इस प्रकार स्वयं प्रार्थी के कथनानुसार गबन का उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष लम्बित होकर अन्वीक्षा में है जिसमें न्यायालय द्वारा विपक्षी मोतीलाल को ना तो दोष सिद्ध किया गया है ना ही इस गबन हेतु

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

दण्डादेश सुनाया गया है। इस प्रकार केवल मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्र के आधार पर उपरोक्त राशि के गबन का तथ्य विपक्षी संख्या 1 के प्रति न्यायिक सिद्धान्तों अनुसार प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा एक तरफ न्यायालय के समक्ष विपक्षी मोतीलाल के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र के संबंध में अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यों को स्पष्ट किया गया है परन्तु अपने विभागीय तथ्यों को न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन में है प्रार्थी डाक विभाग द्वारा इस गबन के प्रकरण में गबन के मुख्य आरोपियों को बचाने की नियत से विपक्षी मोतीलाल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2015 पुलिस थाना सदर में दर्ज करवाई गई जबकि विभागीय रूप से इस प्रकरण में स्वयं प्रार्थी डाक विभाग द्वारा गबन के इस प्रकरण में रणजीत सिंह जैन तत्कालीन कार्यवाहक पोस्ट मास्टर चित्तौड़गढ़ प्रधान डाकघर व बाबूलाल डाड ट्रेजरार चित्तौड़गढ़, रतनलाल जाट डाक सहायक चित्तौड़गढ़, श्रीमती कैलाश चौहान डाक सहायक चित्तौड़गढ़, डालुलाल धाकड़ तत्कालीन उप लेखा सहायक चित्तौड़गढ़, नागेश राठौड़ तत्कालीन उप लेखा सहायक चित्तौड़गढ़, पंकज मोची तत्कालीन उप लेखा सहायक चित्तौड़गढ़ को गबन का सह दोषी कर्मचारी होना मानते हुए उपरोक्त कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय आरोप पत्र दिये गये है एवं उपरोक्त कर्मचारियों से भी इस गबन राशि की वसूली की गई है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त कर्मचारियों से भी उक्त गबन की राशि प्रार्थी डाक विभाग द्वारा वसूल की गई है लेकिन उपरोक्त राशि का कोई समायोजन प्रार्थी की ओर से अपने प्रमाण पत्र में वर्णित राशि 12,90,366/- रूपये में नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रमाण पत्र इस अवैधानिकता से ग्रसित है साथ ही प्रार्थी की ओर से अन्य सह दोषी कर्मचारियों को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसीलिए इस राशि के संबंध में प्रार्थी के प्रति अकेले कोई उत्तरदायित्व विधितः नहीं बनता है। विपक्षी संख्या1 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गबन सैंती में उप डाकपाल पद पर कार्यरत रहते हुए नहीं किया गया प्रार्थी विभाग द्वारा तत्कालीन निरीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ़ (दक्षिण) देवीशंकरजाट से उप डाकघर सैंती के समस्त खातों एवं मौद्रिक लेन-देन का सत्यापन कराया गया एव उपरोक्त सत्यापन के उपरान्त जांच अधिकारी द्वारा अधीक्षक डाकघर मण्डल चित्तौड़गढ़ को जो पत्र दिया गया उसके अनुसार जांच अधिकारी देवीशंकर जाट द्वारा सैंती उप डाकघर के समस्त खातों एवं मौद्रिक लेन-देन के सत्यापन के उपरान्त परिणाम संतोषप्रद होना उल्लेखित किया गया। पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2015 विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध दर्ज करवाई गई उपरोक्त प्रकरण जांच अधिकारी देवीशंकर जाट द्वारा मुख्य डाकघर चित्तौड़गढ़ के दोषी कर्मचारियों तत्कालीन कार्यवाहक पोस्ट मास्टर चित्तौड़गढ़ रणजीत सिंह जैन व ट्रेजरार बाबूलाल डाड, डाक सहायक रतनलाल जाट, कैलाश चौहान, डालुलाल धाकड,

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

नागेश राठौड व पंकज मोची से मिलीभगत कर उपरोक्त दोषी कर्मचारियों को बचाने के लिए सम्पूर्ण गबन का आरोप विपक्षी मोतीलाल पर झुंठा लगाते हुए दर्ज करवाया गया उक्त सभी कर्मचारी इस गबन प्रकरण में दोषी है इस बात की पुष्टि अधीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ़ द्वारा इन सभी कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत् दिये गये आरोप पत्रसे प्रमाणित होती है एवं वर्तमान में विपक्षी मोतीलाल के साथ उक्त सभी दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही लम्बित रही है इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में छुपाते हुए इस प्रकरण में केवल मात्र विपक्षी मोतीलाल को दोषी होना बताकर जो अनुतोष उक्त गबन राशि की वसूल के संबंध चाहा गया है वह कतई विधि सम्मत् नही है। विपक्षी मोतीलाल द्वारा किसी भी प्रकार का कोईगबन नहीं किया गया है विपक्षी दिनांक 31.07.2017 से सेवानिवृत्त हो चुका है एवं विपक्षी की सेवानिवृत्ति के समय विपक्षी को प्राप्त होने वाली ग्रेज्युटी राशि जो कि करीब 20लाख रूपये भी अधिक बनती है व साथ ही पीएल अवकाश राशि 3,41,000/- रूपये बनती है उसे भी प्रार्थी द्वारा अवैधानिक तौर से रोककर उसका भुगतान विपक्षी जवाबदार को नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम इस प्रकरण में अन्तर्गत धारा 3 व 4 में विहित आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना नही की गई है क्योकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रमाण पत्र में वर्णित राशि एवं उपरोक्त राशि के संबंध में दायित्व के संबंध में कथन स्वयं प्रार्थी के दस्तावेजों अनुसार विरोधा भाषी है एवं स्वयं प्रार्थी के उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर विपक्षी मोतीलाल के विरूद्ध उपरोक्त आवेदन चलने योग्य नहीं है एवं प्रार्थना की गई कि लिखित बहस स्वीकार फरमाई जाकर आवेदन प्रार्थी लिखित बहस व जवाब में उल्लेखित तथ्यों के प्रकाश में निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने दिनांक 17.06.2014 को प्रार्थी डाकघर में एक आवेदन पेश किया कि मैंने सेंती उप डाकघर में उप डाकपाल के पद पर कार्य करते हुए करीब 16 लाख रुपये की गड़बड़ी की और मुझे अपनी भूल का अहसास हुआ अब मैं स्वेच्छा से उक्त रकम 2-3 दिन में जमा करा दूंगा। रुपये 1,00,000/- आज जमा कराना चाहता हूँ शेष राशि 2-3 दिन में जमा करा दूंगा। प्रमाण में आवेदन की प्रति न्यायालय हाजा में पूर्व में पेश की गई तथा दिनांक 17.06.2014 को विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने स्वहस्त लिखित बयान दिये कि गबन की गई राशि को बच्चों व परिवार वालों ने शादी में खर्च कर दिया, उक्त बयान भी न्यायालय हाजा में पूर्व में ही पेश कर दिये गए हैं। दिनांक 13.06.2016 को विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने प्रार्थी डाकघर में रुपये 2,00,000/- जमा कराये। इस प्रकार कुल रुपये 3,00,000/- अक्षरे तीन लाख रुपये जमा कराये। शेष रकम रुपये 12,90,366/- अक्षरे बारह लाख

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

नब्बे हजार तीन सौ छियासठ रुपये आज दिन तक जमा नहीं कराये। विपक्षी की वाके ग्राम कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित खतोनी संख्या 1202 में वर्णित आराजी नंबर 3229, 4139, 4140, 4141, 4264, 4265, 4266, 4682, 5368 कुल किता 09 रकबा 2.9000 हे. जमीन में 2/6 हिस्सा है। एवं खतोनी संख्या 1243 में वर्णित आराजी नंबर 4653, 4676, 4679, 4679, 4681 किता 04 रकबा 0.5400 हे. में मोतीलाल बारेगामा का हिस्सा निहित है। विपक्षी मोतीलाल बारेगामा का उदयपुर रोड कपासन एक आवासीय भूखण्ड एवं उस पर निर्मित मकान साईज 34X23.5 फीट है, पड़ौस पूर्व–आम रास्ता, पश्चिम–प्रह्लाद जी जाजू का मकान, उत्तर–आम रास्ता, दक्षिण–पुष्पा देवी पलोड का मकान उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि एवं उपरोक्त पड़ौस बीच का आवासीय मकान कुर्क कर निलाम कराया जाकर प्रार्थी डाकघर का सरकारी धन वसूल कराया जावें। प्रार्थी डाकघर के उच्च अधिकारियों के अनुसार मोतीलाल बारेगामा के गबन के समय रणजीत सिंह पोस्टमास्टर, बाबूलाल डाड खजांची, रतनलाल जाट कार्यवाहक खजांची, श्रीमती कैलाश चौहान उपलेखा सहायक (द्वितीय), डालू लाल धाकड़, नागेश राठोर और पंकज मोची उक्त सातों कर्मचारी चित्तौड़गढ़ मुख्य डाकघर में कार्यरत थे जो कि सेंती उप डाकघर के प्रतिदिन प्राप्त लेखाओं की समय पर जांच नहीं कर पाए जिसकी आड़ में आरोपी मोतीलाल बारेगामा गबन करने में सक्षम रहा और मोतीलाल बारेगामा के हौंसले बुलंद हो गए। इसलिए डाकघर में इन सातों कर्मचारियों के द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए डाक नियमों के अंतर्गत इन सातों कर्मचारियों के खिलाफ डाकघर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अर्थ दण्ड से दंडित किया जिनके निर्णय पूर्व में ही न्यायालय हाजा में पेश किए गए। मोतीलाल बारेगामा ने न्यायालय को गुमराह करने की नियत से यह बताया कि न सातों कर्मचारियों को सहदोषी मानते हुए बचाया लेकिन मोतीलाल बारेगामा ने अकेले ही गबन किया है। विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने कानूनी सलाह लेने के पश्चात गबन की गई राशि में से रुपये 12,90,366/- जमा नहीं कराकर अपने लिखित बयानों से मुकर गया जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 एक्टोपोल के सिद्धान्त से बाधित है। विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने गबन किया इसलिए **FIR** दर्ज कराई जिसका मुकदमा और पेंडिंग है जो गबन करने से सजा दिलाए जाने हेतु फौजदारी कार्यवाही वसूली हेतु माननीय न्यायालय हाजा का सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन मनी ऑर्डर की राशि रुपये 15,90,366/- का गबन किया उसमें से रुपये 3,00,000/- जमा कराये जाने पर शेष राशि रुपये 12,90,366/- की **PDR Act** के तहत विपक्षी मोतीलाल बारेगामा की चल–अचल संपत्ति, कृषि भूमि और आवासीय मकान, कपासन में स्थित है, आदि को कुर्क कर निलामी कराई जाकर वसूली कराई जावें। माननीय न्यायालय को पीडीआर एक्ट के तहत पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

विपक्षी मोतीलाल बारेगामा ने ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाचढ़ा कर लिखी है। अगर मोतीलाल की चल–अचल संपति कुर्क कर निलाम कर वसूली नहीं कराई जावेगी तो अपराध करने की प्रवृति को बढ़ावा मिलता जावेगा। इसलिए न्याय हित में माननीय न्यायालय का **PDR Act** के तहत विपक्षी की कृषि भूमि एवं आवासीय मकान को निलाम कराया जाकर वसूली कराया जाने में कोई रोक नहीं है इसलिए वसूली कराई जावे। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान जन मांग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

3. Requisition for recovery –

(i) When any public demand is due, the officer or authority charged with its realization may send to the Collector having jurisdiction in the place where the defaulter resides or owns property a written requisition in the prescribed form.

(ii) Every such requisition shall be signed and verified in the prescribed manner.

4. Filling of certificates. –

(i) On receipt of any such requisition as is referred to in section 3, the Collector if he is satisfied that the demand is recoverable under this Act and that its recovery by suit is not barred by any law for the time being in force, may sign a certificate to that effect in the prescribed form specifying, therein the amount of the demand the account on which it is due the name of the defaulter and such other particulars as may be necessary for his identification and shall cause the certificate to be filed in his office.

(ii) Where the Collector is himself the officer charged with the realization of a public demand, he shall cause a like certificate to be signed and filed in his office.

राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 के प्रावधानों में प्रावधित किया गया है कि जब कोई सार्वजनिक मांग देय हो, तो इसकी वसूली के लिए आरोपित अधिकारी या प्राधिकारी उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले कलक्टर को प्रस्तुत कर सकता है जहां डिफॉल्टर रहता है एवं संपत्ति का मालिक है, निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित मांग प्रस्तुत करेगा। ऐसी प्रत्येक मांग पर निर्धारित तरीके से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा।धारा 3 में निर्दिष्ट किसी भी मांग की प्राप्ति पर, कलक्टर यदि संतुष्ट है कि इस अधिनियम के तहत मांग वसूली योग्य है और वाद द्वारा इसकी वसूली किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, जो वर्तमान में लागू है, निर्धारित प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसमें मांग की राशि, जिस खाते पर वह बकाया है, का नाम और ऐसे अन्य विवरण

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ

जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हो सकते हैं। जहॉ तक अप्रार्थी द्वारा न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का तथ्य उठाया गया है तो अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अनुसार सार्वजनिक मांग देय होने पर अधिनियम के प्रावधानों के वसूली किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। इसके साथ ही विपक्षी से सार्वजनिक मांग का प्रश्न है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी नियम 1953 के नियम 15 अनुसार अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से सार्वजनिक मांग की संबंधित तथ्यों को इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। यह तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम धारा 3 के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय में सक्षम अधिकारी के स्तर पर ही देखा जाने का प्रावधान अधिनियम में प्रावधित किया गया है। ऐसी स्थिति विपक्षी द्वारा उठाये गये इस तथ्य को की गबन के संबंध में प्रार्थी द्वारा कुलिया राशि 12,90,366/- रूपये की देयता विपक्षी पर ही क्यों आरोपित की गई है। यह तथ्य अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही के स्तर तक का ही है। अधिनियम की धारा 4 की कार्यवाही में इस तथ्य के संबंध में टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। हमने अधीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ़ मण्डल के पत्रांक/एफ2/672/2014-15 चित्तौड़गढ़ दिनांक 08.06.2015 का अवलोकन किया। उक्त पत्र में अधीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ़ द्वारा पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर को सरकारी धन के दुर्विनियोजन के क्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत लिखा गया। उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इस पर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर द्वारा एफआईआर संख्या 188/2015 दर्ज रजिस्टर की जाकर अनुसंधान किया गया। हमने पुलिस थानाधिकारी सदर द्वारा दण्ड प्रंक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र 201/15 दिनांक 30.11.2015 का अवलोकन किया। अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र अनुसार बाद अनुसंधान विपक्षी मोतीलाल पिता केशु लाल बारेगामा निवासी कपासन के विरूद्ध जुर्म धारा 420, 409 भादस का अपराध प्रमाणित माना जाकर अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के बयान एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2014 को अवलोकन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है हिसाब-किताब में गडबडी हुई है एवं विपक्षी द्वारा राशि जमा कराये जाने का तथ्य स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से सार्वजनिक मांग वसूली योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। वित्त (ग्रुप-3) विभाग के परिपत्र एफ.9(1)**F.D./R/71** जयपुर दिनांक 07.05.1976 के द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत देय ब्याज राशि में दरों का परिवर्तन 6.25 प्रतिशत से बढाकर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

13 प्रतिशत कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से उक्तानुसार ब्याज राशि वूसली योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी से बकाया राशि वसूली हेतु प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं डाक विभाग, भारत सरकार की विपक्षी मोतीलाल पिता केसु लाल जाति ब्राहम्ण निवासी पुराना उदयपुर रोड, कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ से सार्वजनिक मांग की बकाया राशि 12,90,366/– रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज तथा नियमानुसार 10 प्रतिशत कोस्ट राशि विपक्षी से वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राशि वसूली किये जाने हेतु नियामानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की प्रति मय प्रमाण पत्र की प्रति के प्रभारी अधिकारी (डीआरए अनुभाग) जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 05.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

FORM N0. 2

Certificate of Public Demand

(See Section 4)

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

No.of Certificate	Name and address of authority sending requisition	Name and address of defaulter	Amount of public demand including interest, if any for which this certificate singed and period for which such demand is due	Further particulars of the public demand for wich this certificate is singed
1	2	3	4	5
056/2017 रेवेन्यू विविध	अधीक्षक डाकघर चित्तौड़गढ 312001	मोतीलाल पिता केशुराम ब्राहम्ण निवासी पुराना उदयपुर रोड, कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़	उप डाकघर सेंती चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में मोतीलाल पिता केशुराम ब्राहम्ण निवासी पुराना उदयपुर रोड, कपासन के उप डाकपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए किये गबन में वसूली से शेष वसूली योग्य राशि 12,90,366/- अक्षरे बारह लाख नब्बे हजार तीन सौ छासठ रूपये	नियमानुसार ब्याज व कोस्ट

I here by certify that the above-mentioned sum of Rs. 1290366/- is due from the above-named.

I further certify that the above-mentioned sum of Rs. 1290366/- is justly recoverable and that its recovery by suit is not barred by law

Dated this 05 th day of October, 2021

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़